जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
55/2016

विविध बैंक प्रकरण सं0 55/2016 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मुख्य शाखा 4 सी रविन्द्र पथ श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक बनाम 1–मैसर्स बॉबी फिल्म स्थित 125 एच ब्लॉक श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर श्री राजीव कक्कड़ पुत्र श्री बलदेव सिंह निवासी मकान नम्बर 14 गली नम्बर 3 सेतिया फार्म नजदीक पोल्का ब्रैड फैक्ट्री श्रीगंगानगर–मूल ऋणी 2–सुदेश कुमारी पत्नि बलदेव सिंह निवासी मकान नम्बर 14 गली नम्बर 3 सेतिया फार्म नजदीक पोल्का ब्रैड फैक्ट्री श्रीगंगानगर–गारन्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.11.2016

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह प्रा0 पत्र प्रार्थी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मुख्य शाखा श्रीगंगानगर द्वारा मैसर्स बॉबी फिल्म स्थित 125 एच ब्लॉक श्रीगंगानगर जरिये प्रोपराईटर श्री राजीव कक्कड़ पुत्र श्री बलदेव सिंह निवासी मकान नम्बर 14 गली नम्बर 3 सेतिया फार्म नजदीक पोल्का ब्रैड फैक्ट्री श्रीगंगानगर–मूल ऋणी एवं सुदेश कुमारी पत्नि बलदेव सिंह निवासी मकान नम्बर 14 गली नम्बर 3 सेतिया फार्म नजदीक पोल्का ब्रैड फैक्ट्री श्रीगंगानगर–गारन्टर के विरूद्ध धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रस्तुत कर गिरवीकृत सम्पति आवासीय मकान सं0 14, गली नम्बर 3, सेतिया फार्म नजदीक पोलका ब्रैड फैक्ट्री श्रीगंगानगर साईज 15 इन्टू 50 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने के लिए पेश किया था और अब प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा ने प्रार्थना की है कि प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली हो चुकी है और अब वह इस प्रा0 पत्र पर आगे कोई कार्यवाई नही चाहते है अगर इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही है।

चूंकि प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि वसूल हो चुकी है और प्रार्थी बैंक अब इस मामले में कोई कार्यवाई नही चाहता है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर